"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई 2002 — आषाढ़ 28 शक 1924

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग 1

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मई, 2002

क्रमांक 1368/1051/साप्रवि/2001-2002— श्री नारायण सिंह, भा. / प्र. से. आयुक्त बिलासपुर को दिनांक 3 जून 2002 से 22 जून 2002 (20 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तथा दिनांक 2 एवं 23 जून रविवार एवं 24 जून शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री सिंह को वेतन भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश के पूर्व प्राप्त होते थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह को कमिश्नर बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

5. श्री नारायण सिंह की अवकाश काल में श्री आर. पी. मंडल, कलेक्टर, बिलासपुर को अपने वर्तमान कर्तव्य के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, बिलासपुर संभाग को कार्यभार सौंपा जाता है.

6. श्री नारायण सिंह द्वारा आयुक्त बिलासपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. पी. मंडल, आयुक्त बिलासपुर के कार्यभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभा चौधरी, अवर सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित— 2002.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल, 2002

छत्तीसगढ़ में अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों को प्रोत्साहन हेतु विभिन्न सुविधाएं देने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश :—

क्रमांक 39 /अ.पां./ऊ.वि./2002.—अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2637/स./ऊ.वि./2001 दिनांक 31 अक्टूबर 2001 द्वारा घोषित ऊर्जा नीति की अपेक्षा अनुसार अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन के संबंध में राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करता है :—

1. कोई भी उद्योग, संस्था एवं निजी एजेंसी जो कि अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र (लघु/लघुत्तम जलविद्युत, सोलर, वायु, बायो एनर्जी आदि) से छत्तीसगढ़ में स्थापित करना चाहता है तो वे इसके लिये प्रोत्साहन के पात्र होंगे.

2. ऐसी पार्टियां स्वयं या छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (क्रेडा) की भागीदारी से अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों की इकाइयों की स्थापना कर सकती है.

3. विद्युत उत्पादन की क्षमता पर कोई सीमा लागू नहीं होगी. ऐसी पार्टियां अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों से उत्पादित विद्युत को उसी जगह या किसी अन्य स्थान पर स्वयं उपयोग कर सकती है या किसी तीसरी पार्टी को शासन की अनुमति से विक्रय कर सकती है, परन्तु तीसरी पार्टी का छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का उच्च दाब उपभोक्ता होना आवश्यक है. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल भी परिस्थिति अनुसार विद्युत का क्रय कर सकता है.

4. विद्युत उत्पादन के स्थान से किसी अन्य स्थान तक स्वयं के उपयोग या किसी तीसरी पार्टी के उपयोग के लिए अगर "व्हीलिंग" की आवश्यकता होगी तो इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की पारेषण/वितरण प्रणाली के उपयोग के लिये भी पार्टियों को अनुमति दी जायेगी, तथा उत्पादक द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा निर्धारित व्हीलिंग चार्ज विद्युत मंडल को देना होगा. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को लाइन द्वारा व्हीलिंग आदि के एवज में कोई क्षतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा नहीं दी जायेगी. उपरोक्त व्हीलिंग चार्ज के लिये दूरी की कोई शर्त नहीं होगी.

5. अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों से उत्पादित विद्युत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा क्रय किये जाने पर क्रय की दर रु. 2.25 प्रति यूनिट होगी. किसी तीसरी पार्टी को विद्युत के विक्रय के लिये दरें विद्युत उत्पादक पार्टी एवं तीसरी पार्टी के बीच आपसी सहमति से तय की जायेगी.

6. अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों से जो विद्युत उत्पादन पार्टी द्वारा स्वयं उपयोग किया जायेगा या कि किसी तीसरी पार्टी को विक्रय किया जायेगा तब 10 मेगावाट से कम क्षमता के यूनिट्स की दशा में प्रथम पांच वर्ष विद्युत शुल्क नहीं लिया जायेगा तथा 10 मेगावाट व उससे अधिक की क्षमता होने पर तीन वर्ष के लिये विद्युत शुल्क नहीं लिया जायेगा.

7. विद्युत उत्पादन के विक्रय हेतु जो मीटरिंग उपकरण आदि की आवश्यकता होगी पार्टी द्वारा स्वयं के खर्च पर विद्युत मंडल द्वारा लगाये गये स्थान पर लगाये जायेंगे. ऐसे मीटर्स आदि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की अनुमति से एवं टेस्ट करवा कर लगवाये जायेंगे.

8. अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन को उत्पादन के स्थान से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के निकटतम ग्रिड स्टेशन से जोड़ने के लिये जो पारेषण/वितरण लाइनों एवं ट्रांसफारमरों की आवश्यकता होगी एवं इसके साथ सिंकोनाइजेशन/प्रोटेक्शन आदि के लिये संयंत्र लगाना पड़ेंगे वे स्वयं के व्यय से या छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल से खर्च का भुगतान करके लगवाया जा सकता है. इन लाइनों/उपकरणों का रख-रखाव छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा किया जायेगा जिसके लिये पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को मंडल द्वारा निर्धारित चार्ज देय होंगे.

9. उत्पादक यदि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल ग्रिड से रियेक्टिव ऊर्जा प्राप्त करता है तो उसे रियेक्टिव ऊर्जा प्रभार देना होगा.

10. उत्पादक यदि मंडल के ग्रिड से स्टार्टअप पॉवर संयंत्र की मरम्मत/अनुरक्षण आदि के लिये प्राप्त करता है तो मंडल में लागू 33 के. व्ही. टू पार्ट टेरिफ की दुगनी दर पर चार्ज देय होगा.

11. अगर शासकीय भूमि उपलब्ध होगी, तो **यह पार्टी को** उसकी न्यूनतम आवश्यकता को देखते हुए छत्तीस**गढ़ शासन, उद्योग** विभाग द्वारा उनके द्वारा निर्धारित शर्तों पर दी जायेगी. यदि शासकीय भूमि उपलब्ध न हो तो शासन निजी भूमि अधिग्रहित कर अधिग्रहण मूल्य पर पार्टी को उपलब्ध करायेगा. इस हेतु सर्विस चार्ज देय नहीं होंगे. भूमि के उपयोग के लिए परिवर्तन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी. केवल भूमि के उपयोग की जानकारी संबंधित जिलों के जिलाध्यक्षों को दी जानी होगी.

12. अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन इकाई को उद्योग का दर्जा प्राप्त होगा एवं उसको वह सभी छूट मिलेगी जो किसी नई औद्योगिक इकाई को मिलती है.

13. ऐसी पार्टियां जो अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाना चाहती है को अपना आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (क्रेडा) को अनुमति प्राप्त करने हेतु देना होगा, जिसकी प्रति सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को भी पृष्ठांकित की जायेगी. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (क्रेडा) की स्वीकृति के पश्चात् उत्पादक इकाई एवं उपभोक्ता इकाई को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के साथ आवश्यक अनुबंध निष्पादित करना होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय सिंह, सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 दिसंबर, 2001

क्रमांक 4128/2458/न.प्र./2001.— मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 होगा.
   (दो) यह 1 नवंबर 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जायें. उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आये हों के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किये जायें.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक	विधियों के नाम
01.	मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994.
02.	धारा 60 के अंतर्गत अपील नियम.
03.	मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मानपत्र) नियम, 1966.
04.	मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (न्यूनतम नगदी शेष) नियम, 1994.
05.	धारा 169 के अंतर्गत आसेधित अचल सम्पत्ति विक्रय नियम.
06.	मध्यप्रदेश निगम पार्षद (करों का भुगतान न किया जाना) नियम, 1963.
07.	अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क नियम, 1962.
08.	धारा 441-ए के अंतर्गत दूषित व्यवहारों को निर्दिष्ट करने संबंधी नियम.
09.	मध्यप्रदेश नगरपालिका (वार्डों का विस्तार) नियम, 1994.
10.	मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994.
11.	मध्यप्रदेश नगरपालिका (अध्यक्ष के पदों का आरक्षण) नियम, 1994.
12.	मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964.
13.	मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम (वार्ड समितियों के कृत्य और शक्तियां तथा कार्य-संचालन के लिए प्रक्रिया) नियम, 1995.
14.	मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम (पार्षदों के पारिश्रमिक तथा भत्ते) नियम, 1995.
15.	मध्यप्रदेश नगरपालिका शिक्षा कर्मी (भरती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1998.
16.	मध्यप्रदेश सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण प्रतिषेध नियम, 1998.
17.	मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम, अध्यक्ष (स्पीकर का निर्वाचन) नियम, 1998.
18.	आनुपातिक प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन के लिए मार्गदर्शिका.
19.	मध्यप्रदेश नगर पालिक नियम (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम, 1994.
20.	मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्ध तथा शर्तें) नियम, 1998.
21.	मध्यप्रदेश नगर पालिक (भवनों/भूमि के वार्षिक भाड़ा मूल्य का अवधारण) नियम, 1997.
22.	मध्यप्रदेश नगरपालिका (मेयर-इन-कौंसिल/प्रेसिडेंट के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम, 1998.
23.	सफाई कर्मचारी नियोजन नियमावली और शुष्क शौचालय सन्निर्माण प्रतिषेध नियम, 1993.
24.	मध्यप्रदेश नगर पालिक (महापौर तथा अध्यक्ष पद का आरक्षण) नियम, 1999.
25.	नगर पालिक निगम (मलेरिया तथा मच्छरों से उत्पन्न अन्य बीमारियां) उपविधियां, 1999.
26.	मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम (स्थायी समिति का कामकाज का संचालन) नियम, 1997.

Raipur, The 4th December, 2001

No. 4128/2458/U.D./2001.— In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organization Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following orders, namely :-

ORDER

1. (1) This order may be called the Adaptation of laws order, 2001.
   (2) It shall come into force in the whole

State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the state of chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modifications that in all the laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Any thing done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, byelaws, rule, regulation, certificate or license) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the schedule shall continue to be force in the state of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S.No.	Name of the laws.
01.	M.P. Nagarpalika Nirvachan Niyam, 1994.
02.	Appeal rules made under Section 60.
03.	M.P. Municipal Corporation (Addresses to persons of Distinction) Rules, 1966.
04.	M.P. Municipal Corporation (Minimum Cash Balance) Rules, 1994.
05.	Rules for sale of Immovable property attached under Section 169.
06.	M.P. Councilor's (Non-payment of Tax) Rules, 1963.
07.	Atirikt Mudrank Shulk Niyam, 1962.
08.	Disqualification of Corrupt practice Rules made under Section 441-G.
09.	M.P. Municipal Corporation (Reservation of Wards for Schedule Castes, Schedule Tribes, Back Ward class and Women) Rules, 1994.
10.	M.P. Municipal Corporation (Extent of wards) Rules, 1994.
11.	M.P. Municipal Corporation (Reservation for the post of Chairman) Rule, 1994.
12.	M.P. Local Authorities (Electoral Offences) Act, 1964.
13.	M.P. Municipal Corporation (Duties & Powers and procedures of conduct of business of Ward Committees) Rules, 1995.
14.	M.P. Municipal Corporation (Remuneration and Allowances to Councilor's) Rules, 1995.
15.	M.P. Municipality Shiksha Karmi (Recruitment & conditions of services) Rules, 1998.
16.	M.P. Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry latrines (Prohibition) Rules, 1998.
17.	M.P. Municipal Corporation (Election of Speaker) Rules, 1998.
18.	Election with the system of proportional representation by means of single transferable vote.
19.	M.P. Municipal Corporation (Transfer of Immovable properties) Rules, 1994.
20.	M.P. Municipal Corporation (Registration Colonization, restrictions & conditions) Rules, 1998.
21.	M.P. Nagarpalika Nigam (Bhavno evam Bhumiyaon ke Vaarshik bhada Moolya ka Avdharan) Niyam, 1997.
22.	M.P. Municipalities (Duties & Powers and procedures of conduct of business of Mayor-in-council/President-in-council) Rule, 1998.
23.	Employment of Manual Scavangers and Construction of dry latrines (Prohibition) Rule, 1993.
24.	M.P. Municipalities (Reservation of seats of Mayor/President) Rules, 1999.
25.	M.P. Municipal Corporation (Malaria and other Mosquito borne diseases) Byelaws 1999.
26.	M.P. Municipal Corporation (Working procedure of Standing Committee) Rules, 1997.

रायपुर, दिनांक 4 दिसंबर 2001

क्रमांक 4128/2458/न.प्र./2001.— मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम,2000(क्रमांक 28 सन 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात :-

आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 होगा.

(दो) यह 1 नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय -समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जायें . उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आये हों के

स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किये जायें.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही (किसी नियुक्तिमा, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक	विधियों के नाम
1.	मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994.
2.	संविधान संशोधन अधिनियम, 1992.
3.	जनरल परपज ग्राउण्ड इन एण्ड रूल्स, 1961.
4.	मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994.
5.	मध्यप्रदेश नगरपालिका (महापौर तथा अध्यक्ष पद का आरक्षण) नियम, 1999.
6.	मध्यप्रदेश नगरपालिका (प्राधिकारियों) के वित्तीय अधिकार तथा निविदा आमंत्रित करने की सीमा नियम, 1994.
7.	मध्यप्रदेश नगरपालिका (उपाध्यक्ष का निर्वाचन) नियम, 1998.
8.	अध्यक्ष के शक्तियों के प्रत्यायोजन, संबंधी नियम [धारा 51 (2) के अंतर्गत धारा 53 (3)] के अंतर्गत नियम.
9.	मध्यप्रदेश नगरपालिका (प्रेसिडेण्ट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम, 1998.
10.	कार्यपालन समितियों से संबंधित नियम [धारा 71 (2)] के अंतर्गत.
11.	परिषद् की शक्तियां, कर्तव्यों और कार्यपालन कृत्यों को सौंपे जाने संबंधी नियम (धारा 78 के अंतर्गत).
12.	मध्यप्रदेश राज्य नगरपालिका सेवा (कार्यपालन) नियम, 1997, धारा 86 के अंतर्गत.
13.	मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा (वेतनमान एवं भत्ता) नियम, 1967.
14.	मध्यप्रदेश नगरपालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1968 (धारा 95 के अंतर्गत).
15.	मध्यप्रदेश नगरपालिका (कर्मचारियों को उधार की मंजूरी) नियम, 1977.
16.	मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा (पेंशन) नियम 1980 [धारा 86 (2) एवं 95 के अंतर्गत.]
17.	मध्यप्रदेश नगरपालिका (नगरपालिका संपत्ति तथा निधि की प्रयुक्ति) नियम, 1965 (धारा 106 के अंतर्गत).
18.	परिषद द्वारा रखी जाने वाली न्यूनतम नगद शुल्क संबंधी नियम धारा 108 (4) के अंतर्गत.
19.	मध्यप्रदेश नगरपालिका अचल संपत्ति अंतरण नियम, 1996 (धारा 109 के अंतर्गत).
20.	मध्यप्रदेश नगरपालिका लेखा नियम, 1971.
21.	मध्यप्रदेश नगरपालिका (बजट अनुमान) नियम, 1962.
22.	मध्यप्रदेश नगरपालिका (बजट अनुदानों में फेरबदल या परिवर्तन करने संबंधी शर्तें) नियम, 1962 (धारा 116 (3) के अंतर्गत.
23.	नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा त्रुटियों के संबंध में प्रतिवेदन संबंधी नियम धारा 122 के अंतर्गत.
24.	स्वागत समारोह पर व्यय की अधिकतम सीमा संबंधी नियम धारा 124 के खण्ड (दो) के अधीन.
25.	मध्यप्रदेश नगरपालिका परिषदों के मार्गों तथा भवनों तथा अन्य शासकीय कार्यों का हस्तांतरण नियम, 1962 धारा 124 के खण्ड (ग) के अधीन.
26.	मध्यप्रदेश नगरपालिका (लोक संस्थाओं का प्रबंध) नियम, 1966 धारा 125 के अंतर्गत.
27.	कर निर्धारण की सूचना के प्रकाशन की रीति संबंधी नियम धारा 129 (2) के अंतर्गत.
28.	धारा 130 (3) के अंतर्गत सूचना प्रकाशन की प्रक्रिया संबंधी नियम.
29.	धारा 150 के अधीन दी जाने वाली सूचना का फार्म संबंधी नियम धारा 151 (1) के अधीन.
30.	अचल संपत्ति के अंतरण पर शुल्क वसूली संबंधी नियम, धारा 161 के अंतर्गत.
31.	मांग की सूचना के फार्म संबंधी नियम [धारा-164 (3)] के अंतर्गत.
32.	धारा 167 (1) के अंतर्गत वारंट संबंधी नियम.
33.	मध्यप्रदेश नगरपालिका समाभिहित अचल संपत्ति विक्रय नियम, 1963.
34.	धनराशियां जो वसूल योग्य न हों को बट्टे खाते में डालने संबंधी (धारा 178 के अंतर्गत.)
35.	धारा 265 के अंतर्गत अधिसूचना प्रकाशन संबंधी नियम.
36.	विवाहों के रजिस्ट्रेशन संबंधी नियम (धारा 275 के अंतर्गत).
37.	मध्यप्रदेश दरिद्रालय नियम, 1962 (धारा 288 के अंतर्गत).
38.	धारा 290 के अंतर्गत सूचना प्रकाशन संबंधी नियम.
39.	मध्यप्रदेश नगरपालिका (अपील समिति तथा प्रक्रिया नियम, 1962 (धारा 307 व 310 के अंतर्गत).

40. मध्यप्रदेश नगरपालिका अपराधों का समझौता नियम 1963 [धारा 317 (5) के अंतर्गत].
41. मध्यप्रदेश नगरपालिका परिषद् एवं अन्य स्थानीय प्राधिकरण के संबंधों का विनियमन 1971 (धारा 334 के अंतर्गत).
42. मध्यप्रदेश नगरपालिका (पार्षदों को पारिश्रमिक तथा भत्ते) नियम, 1995 धारा 353 के अंतर्गत.
43. टेलीफोन के स्थापना संबंधी नियम.
44. मध्यप्रदेश नगरपालिका धन उधार लिया जाना नियम, 1974.
45. अभिलेखों, मानचित्रों, लेखांकों, रजिस्टरों आदि की प्रतिलिपियां प्राप्त करने संबंधी नियम.
46. पत्र व्यवहार नियम, 1962.
47. पशु औषधालयों के प्रबंधों संबंधी नियम.
48. नगरपालिका निधि से भारित की जाने वाली सार्वजनिक संस्थाओं में नगरपालिका परिषद् के स्वतंत्र प्राधिकार की सीमा नियम, 1970.
49. मध्यप्रदेश नगरपालिका (परिषद् के व्यय से अंशतः या पूर्णतः सन्निर्मित किए जाने वाले कार्यों के लिए रेखांकों तथा प्राक्कलन की तैयारी नियम, 1976.
50. विधियों के प्रकाशन की रीति संबंधी नियम.
51. मध्यप्रदेश नगरपालिका अभिलेख नष्टकरण नियम, 1977.
52. कर्मचारियों का वेतन, वार्षिक रिपोर्ट, कार्य दर्शाने वाले नियम.
53. सेवा संबंधी निर्णय सार.
54. मध्यप्रदेश नगरपालिका शिक्षा कर्मी (भरती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1998.
55. मध्यप्रदेश नगरपालिका (भवनों/भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य का अवधारण) नियम, 1997 (संशोधित नियम 29 जुलाई 1998, तथा 7 अगस्त 1999).
56. सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण प्रतिषेध अधिनियम, 1993.
57. मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, 1998.
58. मध्यप्रदेश सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) नियम, 1998.
59. मध्यप्रदेश नगरपालिका (स्थाई समिति की शक्तियां एवं कामकाज के संचालन हेतु प्रक्रिया) नियम, 1997.

Raipur the 4th December, 2001

NOTIFICATION

No.4128/2458/U.D./2001—.In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organization Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following orders, namely :-

ORDER

1. (1) This order may be called the Adaptation of laws order, 2001.
   (2) It shall come into force in the whole state of Chattisgarh on the 1st day of November, 2000.
2. The laws as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the state to chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modifications that in all the laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.
3. Any thing done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, byelaws, rule, regulation, certificate or license) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the schedule shall continue to be force in the state of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S.No.	Name of the laws.
01.	Madhya Pradesh Nagarpalika Nirvachen Niyam, 1994.
02.	Sanvidhan Sansodhan Adhiniyam, 1992.
03.	General Purpose Grant-in-aid Rules, 1961.
04.	M.P. Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribes, Backward Classes and Women) Rules, 1994.
05.	M.P. Municipalities (Reservation of seats of Mayor/President) Rules, 1999.
06.	M.P. Municipalities (Financial Powers of Authorities and limits for inviting tenders) Rules, 1994.
07.	M.P. Municipalities (Election of Voice President) Rules, 1998.
08.	Rules regarding Delegation of powers of the President under Section 51 (2) and section 53 (3).
09.	M.P. Municipalities (Conduct of business of the President-in-council and Powers and functions of the authorities.) Rules, 1998.
10.	M.P. Municipalities (Executive Committees) Rules, 1963 under section 71 (2).
11.	Rules regarding Delegation of powers [illegible] Council under section 78.
12.	M.P. State Municipal Services (Execu[illegible]

Rules, 1997 u/s. 86.

13. Municipal Services (Scale of Pay and Allowances) Rules, 1967.
14. M.P. Municipal Employees (Recruitment and Conditions of Service) Rule, u/s 95.
15 M.P. Nagar Palika (Karmchariyon ko Udhar ki Manjoori Niyam, 1977 (Hindi).
16. M.P. Municipal Services (Pension) Rules, 1980.
17 M.P. Municipalities (Allication of Municipal Property and Fund) Rules, 1965.
18 M.P. Municipalities (Cash balance to be maintained by Council) under section 108 (4).
19. M.P. Municipalities (Transfer of Immovable Property) Rules, 1996 u/s 109.
20. Madhya Pradesh Lekha Niyam, 1971.
21. M.P. Municipalities (Budget Estimates) Rules, 1962.
22. M.P. Municipalities (Conditions to Vary or Alter the Budget Grants) Rules, 1962 Section 116 (3).
23. Nagar Palika Pradhikari Dwara Trutiyon ke Samadhan may prativedan dene sambandhi Niyam u/s. 122.
24. Rules regarding Maximum Cost to be incurred on any Public Reception etc. u/s 124 sub-section (2).
25. M.P. Municipalities (Transfer of Roads, Buildings and other Government works to Councils) Rules, 1962.
26. Lok Sansthaon ka Prabandh Niyam, 1966 (Hindi). u/s 125.
27. Rules regarding Imposition of Tax-Publication of notice u/s. 129 (2).
28. Rules regarding variation in tax-publication of notice u/s. 130 (3)
29. Rules regarding Form of notice under section 150 u/s 151.
30. Rules regarding Manner of Recovery of Duty on Transfer of Immovable Property under section 161.
31. Rules regarding Form of notice of Demand u/s. 164 (3).
32. Rules regarding Form of Warrant and Notice u/s. 167 (1).
33. M.P. Municipalities sale of Immovable Property Distrained Rules, 1963 u/s. 168.
34. Rules regarding Irrecoverable sums u/s. 178.
35. Rules regarding Publication of notice u/s. 265.
36. Rules regarding Registration Marriage u/s. 275.
37. Poor-Houses Rules, 1962 u/s. 288.
38. Rules regarding Publication of notice u/s. 290.
39. M.P. Municipalties (Appeal Committee and Procedure) Rules, 1962 section 307 and 310.
40. M.P. Municipalities (Composition of Offences) Rules, 1963 section 317 (5).
41. M.P. Municipalities Regulation of Relations between Councils and other local Authorities Rules, 1971 (section 334)
42. M.P. Municipalities (Remuneration and Allowances to Councilors) Rules, 1995.
43. Rules regarding Installation of Telephones u/s. 355.
44. Madhya Pradesh Nagar Palika Dhan Udhaar liye Jana, Niyam,. 1974.
45. Rules regarding Copies of Records etc. u/s. 355.
46. M.P. Municipalities Correspondence Rules, 1962.
47. Rules for the Management of Veterinary Dispensary by the Municipal Council u/s. 355.
48. Extent of the Independent Authority of the Municipal Council in respect of the Public instruction maintained out of the Municipal Fund Rules, 1970.
49. Parishad ke vyaya se anshtah ya purnataya sannirmit kiye jane wale karyon ke liye Rekhanko tatha Praklan ki taiyari Niyam, 1976 (Hindi).
50. Publication of Byelaws Rules, u/s 355.
51. Abhilekh Nashta karan Niyam, 1977.
52. Karamchariyon ka vetan vaarshik report, kaarya darshane wala Niyam.
53. Seva Sambandhi Nirnay Saar.
54. M.P. Municipalities shiksha Karmi (Recruitment and Conditions of services) Rules, 1998.
55. M.P. Nagarpalika (Bhavno/Bhumiyon ke Varshik Bhada Moolya ka Avdharan) Niyam, 1997 (Hindi).
56. Safai Karamchari Niyojan Aur Shushk Souchalaya Sannirman Pratishedh Adhiniyam, 1993.
57. M.P. Nagarpalika (Kolonizer ka Registrikaran Nibandhan Tatha Sharten) Niyam, 1998 (Hindi).
58. M.P. Safai Karamchari Niyojan Aur Shushk Souchalaya Sannirman (Pratishedh) Niyam, 1998.
59. Rules Regarding Exercise of power by standing Committee.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, सचिव.

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2002.

जनसहभागिता नियम-2001

क्रमांक एफ-2-1/2001/23/आसां.राज्य शासन एतद्द्वारा विकास, निर्माण योजनाओं में जनसहभागिता सुनिश्चित करने के लिए निम्नानुसार नियम बनाता है.

1. उद्देश्य. : इन नियमों का उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न विभागों के अंतर्गत स्थानीय विकास योजना/निर्माण कार्यों में जनसहभागिता सुनिश्चित करना है, ताकि विभिन्न विभागों द्वारा कराये जा रहे स्थानीय विकास कार्यों में जनसहयोग का अंशदान प्राप्त हो सके तथा उक्त निर्माण कार्य हेतु जनसामान्य अनुरक्षण एवं देखरेख के लिए अपने को उत्तरदायी मान सकें.

2. संक्षिप्त नाम तथा विस्तार. : (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ राज्य जनसहभागिता नियम-2001 है.

(ख) यह नियम राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रवृत्त होगा तथा इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए होगा.

3. परिभाषाएं. : (क) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, शासन से अभिप्रेत छत्तीसगढ़ राज्य शासन से है.

(ख) निर्माण विकास कार्यों से अभिप्रेत है शासन के विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही निर्माण, विकास योजनाओं से है.

4. प्रशासकीय स्वीकृति. :(क) प्रशासकीय स्वीकृति से अभिप्रेत किसी भी विकास/निर्माण कार्य के प्राक्कलन में शासन द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों के अंतर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से है.

तकनीकी स्वीकृति. :(ख) से अभिप्रेत किसी भी विकास/निर्माण कार्य के प्राक्कलन में तकनीकी अधिकारी द्वारा, शासन द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों के अंतर्गत सक्षम स्तर पर प्राक्कलन की स्वीकृति से है.

अंशदान : (ग) से अभिप्रेत है किसी भी निर्माण कार्य/विकास कार्य के प्राक्कलन में वेष्ठित अंश के भाग से है जिसमें मानव श्रम का अंशदान भी सम्मिलित है.

(घ) कलेक्टर. : से अभिप्रेत राज्य शासन के द्वारा जिले में पदस्थ कलेक्टर से है.

(ङ) नगरीय निकाय. : से अभिप्रेत है नगर निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत.

(च) पंचायत. : से अभिप्रेत है जिला/जनपद/ग्राम पंचायत.

5. इन नियमों के अंतर्गत क्रियान्वित की जाने वाली योजनाएं. : (क) इन नियमों के अंतर्गत मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों/नगरीय निकायों की स्थानीय मूलभूत सेवाओं से संबंधित योजनाएं ली जावेंगी. ऐसी योजनाएं भी ली जायेंगी जो कि जनोपयोगी हों, परन्तु धार्मिक स्थलों का निर्माण, चौपाल आदि का निर्माण अथवा व्यक्ति अथवा समूह विशेष के लाभ के अथवा उनसे संबंधित निर्माण कार्यों को नहीं लिया जा सकेगा. ऐसी योजनाओं/क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचता है.

(ख) यह नियम शासन के समस्त विभागों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के लिए प्रभावशील माने जायेंगे.

6. राशि का अंशदान, संग्रहण एवं आवंटन की प्रक्रिया. : (क) पंचायत/नगरीय निकाय के द्वारा जन-सहभागिता के अंतर्गत जिस कार्य को किया जाना प्रस्तावित है, उनके औचित्य के साथ अपनी बैठक में संकल्प पारित किया जायेगा. संकल्प पारित होने के पश्चात् उस कार्य हेतु पृथक से बैंक में खाता खोला जायेगा तथा जिन व्यक्तियों से राशि इस कार्य हेतु संग्रहीत की जावेगी उन्हें प्रपत्र एक के अनुसार पावती दी जायेगी. संबंधित कार्यालय में इस हेतु रखी गई पंजी (अंशदाताओं की पंजी प्रपत्र 2) के अनुसार संधारित कर उसमें अंशदाताओं के नाम एवं राशि प्रविष्टि की जावेगी. निर्माण कार्य हेतु अंशदान की पूर्ण राशि जमा होने पर जारी सूचना कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को दी जायेगी. जन सहयोग के अंशदान के रूप में मानव श्रम एवं दिये गये सामग्री दान का मूल्यांकन कर गणना की जा सकेगी, बशर्ते निर्माण कार्य के प्राक्कलन में इसका स्पष्ट उल्लेख हो तथा वह गणना योग्य हो.

(ख) कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा पंचायत/नगरीय निकायों द्वारा पारित

संकल्प के आधार पर निर्माण कार्य का प्राक्कलन संबंधित विभाग के तकनीकी अधिकारी द्वारा तैयार कराया जायेगा तथा तैयार प्राक्कलन की सूचना संबंधित पंचायत/नगरीय निकाय को दी जायेगी. संबंधित पंचायत/नगरीय निकाय प्राक्कलन के आधार पर जनसहयोग की राशि संग्रहित करने का कार्य करेंगे. कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा निर्माण कार्य हेतु राशि होने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित पंचायत/नगरीय निकाय को शासन का अंशदान स्वीकृत किया जायेगा. शासन के अंशदान की सीमा सामान्य क्षेत्र में 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित क्षेत्र में 75 प्रतिशत तक सीमित रहेगी. शासन के अंशदान में सांसद निधि, विधायक निधि, मंत्री स्वेच्छा अनुदान तथा इस उद्देश्य हेतु अलग से बजट में प्रावधानित राशि का उपयोग किया जायेगा. जनसहयोग के अंशदान में उपरोक्त निधि सम्मिलित नहीं मानी जायेगी.

(ग) अंशदान स्वीकृत करने के पूर्व सक्षम अधिकारी के द्वारा तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृतियां जारी की जायेंगी. शासन के द्वारा स्वीकृत अंशदान की स्वीकृति का प्रारूप प्रपत्र-3 के अनुसार होगा. स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में ऐसी स्वीकृतियों की पंजी प्रपत्र-4 अनुसार संधारित की जायेगी और इस हेतु पृथक से कैश बुक रखी जायेगी.

7. योजना का क्रियान्वयन : प्रशासकीय/तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् पंचायत/नगरीय निकाय योजना के क्रियान्वयन का कार्य प्रारंभ करेंगे. प्राधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि योजना का क्रियान्वयन निर्धारित राशि एवं समय सीमा में पूर्ण हो. यदि किसी कारण से प्राक्कलन की राशि में वृद्धि होती है तो वह जनसहयोग से ली जायेगी.

योजना के अंतर्गत कार्यों के निर्माण पंचायत/नगरीय निकाय अथवा जिले के कलेक्टर के द्वारा नियुक्त निर्माण समिति द्वारा किया जायेगा. निर्माण समिति में जन सहयोग देने वाले लोगों के 2 प्रतिनिधि एवं संबंधित पंचायत/नगरीय निकाय का एक प्रतिनिधि होगा.

विकास कार्य से संबंधित राशि बैंक में अलग खाता खोलकर रखी जाएगी. उक्त राशि का आहरण सरपंच/नगरीय निकाय के अध्यक्ष अथवा निर्माण समिति गठित होने की दशा में समिति के मनोनीत एक सदस्य तथा सरपंच अथवा सचिव/नगरीय निकाय के अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जा सकेगा.

8. योजनाओं/निर्माण कार्यों का हस्तांतरण एवं संधारण : इन नियमों के अंतर्गत बनाये गये निर्माण कार्यों का संधारण पंचायत/नगरीय निकायों द्वारा किया जायेगा. शासन द्वारा ऐसी योजनाओं के संधारण हेतु किसी प्रकार की राशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी. इस योजना के अंतर्गत बनाई गई संपत्ति पर राज्य शासन का स्वामित्व होगा तथा ऐसी संपत्ति का विक्रय/हस्तान्तरण उसी प्रकार होगा जैसा कि शासकीय संपत्ति का होता है. बिना शासन की स्वीकृति के इन निर्माण कार्यों का उपयोग जिस उद्देश्य के लिए किया गया है उससे पृथक् नहीं किया जा सकेगा. इन निर्माण कार्यों के संधारण का उत्तरदायित्व संबंधित पंचायत/नगरीय निकाय का होगा.

9. योजना का अनुश्रवण : (क) इन नियमों के अंतर्गत किये जा रहे निर्माण कार्यों/विकास कार्यों की कम से कम 3 माह में कलेक्टर के द्वारा प्रगति की समीक्षा की जायेगी. तथा संबंधित क्रियान्वयन निकायों को आवश्यक निर्देश प्रसारित किये जा सकेंगे. संबंधित पंचायत/नगरीय निकायों के द्वारा भी अपनी साधारण सभा में वर्ष में कम से कम 2 बार इन योजनाओं के कार्यों की समीक्षा की जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा. इसमें निर्माण कार्य में हुई व्यय राशि एवं संग्रहित अनुदान की राशि की जानकारी का समावेश होगा.

(ख) इन नियमों के अंतर्गत निर्माण कार्यों के स्थल पर स्थाई पट्टिका का निर्माण कार्य पर ही लगाई जायेगी. जिनमें कि जनसहभागिता के अंतर्गत किये गये "कार्यों का नाम", "प्राक्कलन की राशि", एवं "जनसहयोग के अंशदान की राशि", पूर्ण किये गये कार्य के मूल्यांकन की राशि तथा कार्य पूर्ण होने का दिनांक का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा.

(ग) इन नियमों के अंतर्गत स्वीकृत कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य का मूल्यांकन पंचायत/नगरीय निकाय के सक्षम तकनीकी अधिकारी के द्वारा किया जायेगा. शासन के द्वारा भी उक्त कार्य का मूल्यांकन सक्षम शासकीय अधिकारी के द्वारा कराया जा सकेगा.

10. लेखा संधारण एवं आडिट कार्य. : इन नियमों के अंतर्गत संग्रहित राशि का लेखा संधारण इन नियमों में उल्लिखित अनुसार तथा स्थानीय निकायो के लेखा नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा इसका आडिट भी राज्य शासन की एजेंसी द्वारा प्रचलित नियमों के अनुसार होगा, जैसे कि पंचायत/नगरीय निकायों का आडिट होता है.

11. निर्वचन. : जहां इन नियमों के संदर्भ में कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसे विनिश्चित करने के लिए शासन के वित्त विभाग को संदर्भित किया जा सकेगा तथा वित्त विभाग का निर्णय अंतिम होगा.

12. नियम शिथिल करने की शक्तियां. : शासन को यदि ये समाधान हो जाए कि किसी निकाय के क्रियान्वयन से किसी विशेष प्रकरण में अनावश्यक अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे कारणों को लेखाबद्ध किया जायेगा, राज्य शासन द्वारा किसी प्रकरण को निबटाने के लिए उस सीमा तक उन अपवादों एवं शर्तों के अधीन जैसा कि आवश्यक समझा जाए, इन नियमों की अपेक्षाओं को अभिमुक्त अथवा शिथिल किया जा सकेगा.

रसीद बुक प्रपत्र एक

जनसहभागिता नियम 2001 की धारा 6 के अंतर्गत बुक क्रमांक....................क्रमांक................(जनसहभागिता नियम 2001 की धारा 6 ....के अंतर्गत) श्री (नाम) .... पिता का नाम ....पता.. से रुपये.................(शब्दों में) .... सधन्यवाद प्राप्त की गई.

उक्त राशि निर्माण कार्य/विकास कार्य .... वित्तीय वर्ष................के क्रियान्वयन के लिये जनसहभागिता के रूप में प्राप्त की जा रही है.

दिनांक.........................

रसीद

स्थान ....

जमा करने वाले का नाम एवं पता

....

....

प्रपत्र-2

जनसहभागिता योजना के अंतर्गत पंचायत/नगरीय निकाय में संधारित की जाने वाली पंजी

क्रमांक (1)	योजना का नाम (2)	पंचायत/नगरीय निकाय का नाम (3)	पंचायत/नगरीय निकाय का संकल्प क्रमांक (4)	कुल लागत (5)	पंचायत/नगरीय निकाय का हिस्सा (6)	शासन का अंशदान (7)	तकनीकी स्वीकृति का क्रमांक (8)	प्रशासकीय स्वीकृति का क्रमांक (9)	शासन की राशि प्राप्त होने का दिनांक (10)	योजना पूर्ण होने का माह, तिथि एवं मूल्यांकन (11)	रिमार्क (12)	सरपंच/सचिव के हस्ताक्षर (13)

प्रपत्र-3

कार्यालय कलेक्टर (योजना शाखा)

प्रति,

सरपंच/अध्यक्ष,
ग्राम/नगर/स्थानीय निकाय,
विकासखण्ड..........................
जिला..........................

विषय :- निर्माण कार्य.......................................को जनसहभागिता से प्रारंभ करने की स्वीकृति.

आपके प्रस्ताव (पंचायत/नगर निगम का संकल्प) क्रमांक.................के द्वारा आपने..............................निर्माण कार्य/विकास योजना लागत रुपये..............................को जनसहभागिता से पूर्ण करने का संकल्प दिया है एवं अपने हिस्से की राशि रुपये..............................(कुल लागत का सामान्य क्षेत्र में 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित क्षेत्र में 25 प्रतिशत) जमा करने की सूचना दी है.

उक्त निर्माण कार्य में मानव श्रम का हिस्सा..प्रतिशत है, जिसे जनसहभागिता के अंश के रूप में प्राप्त किया गया है.

अतः राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना को शासन के हिस्से के रूप में रुपये..................(सामान्य क्षेत्र में 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित क्षेत्र में 75 प्रतिशत) का अंशदान स्वीकृत किया जाता है.

कृपया निर्माण कार्य निम्नानुसार निर्धारित प्रक्रिया व तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर पूरा किया जाये कार्य पूर्ण होने की सूचना इस कार्यालय को दी जाये.

उक्त व्यय विभागीय मांग संख्या............शीर्ष..............................(आयोजना) स्कीम..............................अन्य प्रभार (जनसहभागिता) से व्यय के अंतर्गत विकलनीय होगा.

कलेक्टर/जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी

प्रतिलिपि :- संबंधित क्षेत्र के विधायक /जनपद अध्यक्ष/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विभाग प्रमुख जिससे संबंधित योजना है की ओर सूचनार्थ.

प्रपत्र-4

जनसहभागिता योजना के अंतर्गत संधारित पंजी का प्रारूप

क्रमांक	ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय का नाम	निर्माण कार्य का नाम	विकासखण्ड	निर्माण कार्य की प्राक्कलन की राशि	ग्राम पंचायत नगरीय निकाय का अंशदान	शासन का अंशदान	प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक	शासन की राशि प्राप्त होने का दिनांक	कार्य पूर्ण होने का दिनांक	अंतिम मूल्यांकन राशि	शेष राशि यदि कोई हो	ग्राम पंचायत नगरीय निकाय के मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

कलेक्टर/जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी

लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय,दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर.

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल, 2002

क्रमांक 1760/362/2002/स्वा.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.
   (2) यह नवम्बर 2000 के प्रथम दिन से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू होगा.

2. इस आदेश की अनुसूची में, समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थीं, एतद्द्वारा तब तक छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित की जाती हैं तथा प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि ये निरसित या संशोधित न कर दी जाय, उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किया जाय.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों द्वारा या उसके अधीन प्रवृत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त होगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक	विधि का नाम
1	मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम-1973.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद सिंह, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2002

क्रमांक 1761/362/2002/स्वा.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1760/362/2002/स्वा.,दिनांक 29-4-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद सिंह , उप-सचिव.

Raipur, the 29th April 2002

No. 1760/362/2002/H.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Reorganization Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government, hereby, makes the following orders, namely :-

ORDER

1. (i) This order may be called the Adaptation Order, 2002.
   (ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The Laws, as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, until repealed or amended. Subject to the modification and that in the Laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the Laws specified in the schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S.No.	Name of the Laws
1.	The Madhya Pradesh Upcharyagriha Tatha Rujopchar Sambandhi Sthapnaye (Registrikaran Tatha Anugyapan) Adhiniyam-1973.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,
PRAMOD SINGH, Deputy Secretary.

वन एवं संस्कृति विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 मई, 2002

क्रमांक एफ-7-6/2001/व.प.सं.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्र. 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम नियमों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.

(2) यह नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थीं, एतद्द्वारा तब तक छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित की जाती है, तथा प्रवृत्त रहेंगी जब तक वे निरसित या संशोधित न कर दी जाए. उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त नियमों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किया जाय.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कार्यवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक	विधियों के नाम
1.	मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) वन सेवा भरती नियम, 1978.
2.	मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) वन सेवा भरती नियम, 1978 संशोधन-1981. (मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक एफ-16-2-दस-1-79-1976, दिनांक 21-04-81).
3.	मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) वन सेवा भरती नियम, 1978, संशोधन-1998 (म.प्र.राजपत्र अधिसूचना क्र. एफ -3 - 83 / 98 / दस-1 , दिनांक 22 7 98.
4.	मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) वन सेवा भरती नियम, 1978, (संशोधन-1999) म. प्र. राजपत्र अधिसूचना क्र. एफ-2-35/90/दस-1 दि. 03-6-99.
5.	मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भरती नियम, 1967.
6.	मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भरती नियम, 1967, संशोधन-1975.(म.प्र. राजपत्र अधिसूचना क्र.-18-2-1975-1-दस-1 दि. 19-7-1975.)
7.	मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भरती नियम, 1967, संशोधन-1977.(म.प्र. राजपत्र अधिसूचना क्र.18-2-1975 दस -1-दिनांक 15/9/1977)
8.	मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भरती नियम, 1967, संशोधन-1978.(म.प्र राजपत्र अधिसूचना क्र. 1(सी) 50.76 - दस - 178 दिनांक 22-11-78)
9.	मध्यप्रदेश चतुर्थ श्रेणी वन सेवा भरती नियम, 1967 (अधिसूचना क्र. 8709-5274-दस-(1) 67 दिनांक 14-8-67)
10.	मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा (भरती) नियम, 1977.
11.	मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा (भरती) नियम, 1977, संशोधन-1990. (म.प्र. राजपत्र अधिसूचना क्र. एफ.2-14-89-दस-1-दिनांक 17-5-91)
12.	मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा (भरती) नियम, 1977, संशोधन-1991.(म.प्र. राजपत्र अधिसूचना क्र.-एफ-11-11-89-दस-1 दि. 17-5-91)
13.	मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा (भरती) नियम, 1977, संशोधन-1996. (म. प्र. राजपत्र अधिसूचना क्र. एफ-3-49-95-दस-1 दि. 16-2-96)
14.	मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा (भरती) नियम, 1977, संशोधन-1998. (म. प्र. राजपत्र अधिसूचना क्र.-एफ-3-81-98-दस-1 दि. 22-7-98)
15.	मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा (भरती) नियम, 1977, संशोधन-1999. (म. प्र. राजपत्र अधिसूचना क्र.-एफ-2-29-99-दस-1 दि. 24-8-99)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जय सिंह महस्के, उप -सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 मई, 2002

क्रमांक एफ-7-6/2001/व.प.सं.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-7-6/2001/व. प. सं. दिनांक 02-05-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयसिंह महस्के, उप-सचिव

Raipur, the 2nd May, 2002

No.F-7-6/2001/FEC.— In exercise of the power conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following Orders namely :-

ORDERS

1. (i). This Order may be called the Adptation Order, 2002.
   (ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The Laws as amended from time to time, specified in the Schedule to this Order, which were in force in the state of Madhya Pradesh immediately before the formation of the state of Chhattisgarh, are hereby extended and shall be in force in the state of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in Laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation, certificate or licences) in exercise of the power conferred by or under the Laws specified in the Schedule shall continue to be in force in the state of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S.No.	Name of the Laws
(1)	(2)
1.	Madhya Pradesh Class III (Ministerial) Forest Service Recruitment Rules, 1978.
2.	Madhya Pradesh Class III (Ministerial) Forest Service Recruitment Rules, 1978. Amendment-1981. (Madhya Pradesh Gazette Notification No. F-16-2-X-1-79-1976 dated 21-4-81).
3.	Madhya Pradesh Calss III (Ministerial) Forest Service Recruitment Rules-1978. Amendment-1998.(Madhya Pradesh Gazette Notification No.F-3-83-98-X-1 dated 22-7-98.).
4.	Madhya Pradesh Class III (Ministerial) Forest Service Recruitment Rules-1978. Amendment-1999 (Madhya Pradesh Gazette Notification No.-F-2-35-90/10-1 dated 3-6-99.
5.	Madhya Pradesh Class III (Non-Ministerial) Forest Service Recruitment Rules-1967.
6.	Madhya Pradesh Class III (Non-Ministerial) Forest Service Recruitment Rules-1967. Amendment-1975.(Madhya Pradesh Gazette Notification No. 18-2-1975-1-Xdated 19-7-75.)
7.	Madhya Pradesh Class III (Non-Ministerial) Forest Service Recruitment Rules-1967. Amendment-1977. (Madhya Pradesh Gazette Notification No.-18-2-1975-I-X dated 15-9-77).
8.	Madhya Pradesh Class III (Non-Ministerial) Forest Service Recruitment Rules-1967. Amendment-1978. (Madhya Pradesh Gazette Notification No.-1(c)-50-76-X-1-78 dated 22-11-78).
9.	Madhya Pradesh Class IV Forest Service Recruitment Rules-1967. Notification No.-8709-5274-X(1) 67-dated-14-8-67).
10.	Madhya Pradesh State Forest Service (Recruitment) Rules-1977.
11.	Madhya Pradesh State Forest Service (Recruitment) Rules-1977. Amendment-1990 (Madhya Pradesh Gazette Notification No.-F-2-14-89-X-1 dated 3-3-90).
12.	Madhya Pradesh State Forest Service (Recruitment) Rules-1977. Amendment-1991. (Madhya Pradesh Gazette Notification No.-F-11-11-89-X-1 dated 17-5-91).
13.	Madhya Pradesh State Forest Service (Recruitment) Rules-1977. Amendment-1996. (Madhya Pradesh Gazette Notification No.-F-3-49-95-X-1 dated 16-2-96).
14.	Madhya Pradesh State Forest Service (Recruitment) Rules-1977.Amendment-1998. (Madhya Pradesh Gazette Notification No.-F-3-81-98-X-1 dated 22-7-98).
15.	Madhya Pradesh State Forest Service (Recruitment) Rules-1977. Amendment-1999. (Madhya Pradesh Gazette Notification No.-F-2-29-1999-X-1 dated 24-8-99).

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JAI SINGH MHASKEY, Deputy Secretary.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/01.—म. प्र. दुकान अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 51 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के कॉलम (2) के वर्णित अधिकारियों को कॉलम (3) में वर्णित अधिकारिता क्षेत्र हेतु अभियोजन स्वीकृति हेतु अधिकृत करता है.

अनुसूची

अनुक्रमांक	अधिकारी	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1.	श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर.	संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
2.	उप श्रमायुक्त, श्रमायुक्त संगठन मुख्यालय रायपुर में पदस्थ	---तदैव---
3.	समस्त सहायक श्रमायुक्त	श्रम संभाग में.
4.	श्रम पदाधिकारी तथा सहायक श्रम पदाधिकारी.	श्रम उप संभागों में.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च, 2002

क्रमांक-श्रम/02.—दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन 1958) की धारा 58 (2) सहपाठित अधिनियम, 1959 की नियम 14ए (1 ए) जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, राज्य सरकार एतद्द्वारा समस्त सहायक श्रमायुक्तों एवं श्रम पदाधिकारियों को अपनी-अपनी अधिकारिता में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च, 2002

क्रमांक श्रम/03.—दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन 1958) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (2) द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा भी की जा सकेगी.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/04.—म. प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 13 की उपधारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा समस्त सहायक श्रमायुक्तों एवं श्रम पदाधिकारियों को अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत करती है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/05.—न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, उक्त अधिनियम की धारा 18 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा श्रमायुक्त को मुख्य कारखाना निरीक्षक इस अधिनियम के प्रायोजन के लिए नियुक्त करती है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/06.—न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, राज्य सरकार एतद्द्वारा दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 11 सन् 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किये गये दुकान स्थापना के निरीक्षकों को उक्त न्यूनतम वेतन अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक (इन्सपेक्टर) नियुक्त करता है, और यह निर्देश देता है कि वे उन्हें समनुदेशित क्षेत्रों के भीतर अपनी-अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेंगे.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/07.—न्यूनतम वेतन अधिनियम ,1948 (क्रमांक 11 सन 1948) जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, की धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में वर्णित शक्तियों/निकायों को उक्त अधिनियम के संलग्न अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट कृषि में नियोजन के संबंध में उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए निरीक्षकों के रूप में नियुक्त करता है और आगे उन क्षेत्रों को जो उक्त सारणी के कालम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में वर्णित है, विनिर्दिष्ट करता है, जिनके भीतर वे अपनी-अपनी अधिकारिताओं का प्रयोग करेंगे :—

सारणी

अनुक्रमांक	व्यक्ति/निकाय क्षेत्र	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	समस्त विकासखण्ड अधिकारी.	वे क्षेत्र जिनमें वे विकासखण्ड अधिकारी के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं.
2.	समस्त सहायक, अधिक्षक,भू-अभिलेख	वे क्षेत्र जिनमें वे सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं.

(1)	(2)	(3)
3.	समस्त नायब तहसीलदार.	वे क्षेत्र जिसमें वे नायब तहसीलदार के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं.
4.	समस्त पंचायत इन्सपेक्टर्स.	वे क्षेत्र जिसमें वे इन्सपेक्टर के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं.
5.	20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 2759-20 पाइन्ट-83, दिनांक 2-12-82 में यथा निर्दिष्ट विकासखण्ड स्तर समितियां.	वे क्षेत्र जिन पर कॉलम 2 में निर्दिष्ट समितियों की अधिकारिता है.
6.	आदिमजाति तथा हरिजन कल्याण विभाग के सर्किल संगठक.	वे क्षेत्र जिनके भीतर वे आदिम जाति तथा कल्याण विभाग के सर्किल संगठक के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं.
7.	मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम, 1981 के अंतर्गत गठित समस्त ग्राम पंचायतें.	वे क्षेत्र जिनमें वे मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम, 1981 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/08.—न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन 1948) जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, की धारा 18 (ए) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा श्रमायुक्त को मुख्य निरीक्षक उक्त अधि. के प्रयोजन के लिए नियुक्त करती है.

रायपुर,दिनांक 20 मार्च, 2002

क्रमांक श्रम/09.—वेतन संदाय अधिनियम, 1936 (क्रमांक-4 सन 1936) की धारा 14 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, राज्य शासन एतद्द्वारा दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन 1958) की धारा-40 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किये गये दुकान एवं स्थापना निरीक्षकों को उक्त वेतन संदाय अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक (इन्सपेक्टर) नियुक्त करता है, और यह निर्देश देता है कि वे अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अपने कृत्यों का प्रयोग करेंगे.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/10.—बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (क्रमांक 21 सन् 1965) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जैसा कि वह छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, राज्य शासन एतद्द्वारा, दुकान स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किये गये दुकान एवं स्थापना निरीक्षकों को उक्त बोनस संदाय अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक (इन्सपेक्टर) नियुक्त करती है और निर्देश देता है कि वे अपने उन्हें समानुदेशित क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर अधिकारिताओं का प्रयोग करेंगे.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/11.— उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 (क्र. 39 सन् 1972) की धारा 7 (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सभी व्यक्तियों को जो कि दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत निरीक्षक नियुक्त है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए निरीक्षकों के रूप में नियुक्त करता है और आगे यह निर्देशित करता है कि वे स्थानीय सीमा के भीतर अपनी-अपनी अधिकारिताओं का प्रयोग करेंगे.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/12.—उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 (क्र. 39 सन् 1972) की धारा 7 (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (2) में वर्णित पदाधिकारियों के उक्त वर्णित अनुसूची के स्तंभ क्रमांक (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए नियंत्रक प्राधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है.

अनुसूची

क्रमांक	पदाधिकारी	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	समस्त सहायक श्रमायुक्त	संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
2.	समस्त श्रम पदाधिकारी	---तदैव--

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/13.—उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 (क्र. 39 सन् 1972) की धारा 7 (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उप श्रमायुक्त मुख्या[illegible] रायपुर को

सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/14.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में संविदा श्रमिक (विनिमय एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 (क्रमांक 37 सन् 1970) की धारा 6, 12 एवं 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा प्रदेश में समस्त सहायक श्रमायुक्तों एवं श्रम पदाधिकारियों को उक्त अधिनियम की अध्याय 3 एवं 4 के प्रयोजन के लिए क्रमशः पंजीयन तथा अनुज्ञापन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है एवं उप श्रमायुक्त (मुख्यालय) को अपीलीय अधिकारी नियुक्त करता है और यह निर्देश देता है कि ये उक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन अनुज्ञापन या अपीलीय अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, की शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्रों की सीमा में करेंगे.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/15.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में संविदा श्रम (विनिमय एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 (क्रमांक 37 सन् 1970) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा दुकान स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त दुकान तथा स्थापनाओं में निरीक्षकों के प्रथम वर्णित एक्ट के प्रयोजनों के लिए निरीक्षकों के रूप में नियुक्त करता है और निर्देश देता है कि वे पूर्व वर्णित एक्ट के अधीन अपनी-अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी-अपनी अधिकारिताओं की स्थानीय सीमाओं के भीतर करेंगे.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/16.—अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 (1979 की संख्या 30) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन में प्रयुक्त है, राज्य सरकार एतद्द्वारा दुकान स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 के अधीन नियुक्त किये गये समस्त निरीक्षकों को अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 (1979 की संख्या 30) के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है, तथा दुकान स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 के अधीन उनको समानुदेशित की गई, स्थानीय सीमाओं को उन स्थानीय सीमाओं के रूप में परिनिश्चित करती है, जिसके भीतर वे अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नि. वि. तथा से. श.) अधिनियम, 1979 (क्रमांक 30 सन् 1979) के अधीन उनकी शक्तियों का प्रयोग करेंगे.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/17.—अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 (क्रमांक 30 सन् 1979) की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन में प्रयुक्त है, राज्य सरकार एतद्द्वारा समस्त सहायक श्रमायुक्तों एवं समस्त श्रम पदाधिकारियों को अनुज्ञापन अधिकारी नियुक्त करता है, जो उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर शक्तियां प्रयोग करेंगे.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/18.—अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 (क्रमांक 30 सन् 1979) जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन में प्रयुक्त है, की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा समस्त सहायक श्रमायुक्तों एवं समस्त श्रम पदाधिकारियों को पंजीयन अधिकारी नियुक्त करता है, जो उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर शक्तियां प्रयोग करेंगे.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/19.अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 (क्रमांक 30 सन् 1979) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन में प्रयुक्त है, राज्य सरकार एतद्द्वारा उप श्रमायुक्त मुख्यालय को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करती है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/20.—अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 (क्रमांक 30 सन् 1979) जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन में प्रयुक्त है, की धारा 12 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन नियुक्त किये गये अनुज्ञापन अधिकारियों को विनिर्दिष्ट करती है, जो उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर उसकी धारा 12 तथा 16 के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी होंगे.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/21.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (क्रमांक 8 सन् 1923) की धारा 20 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा म. प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 द्वारा

नियुक्त समस्त सहायक श्रमायुक्तों को इस अधिनियम के अधीन कर्मकारों के क्षतिपूर्ति के लिए अपनी-अपनी अधिकारिता हेतु आयुक्त नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च, 2002

क्रमांक श्रम/22.—बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, जैसा कि वह छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, राज्य शासन एतद्‌द्वारा दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किये गये निरीक्षकों को अपनी-अपनी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर, बाल श्रमिक अधिनियम की उपबंधों का पालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए निरीक्षक (इन्सपेक्टर) के रूप में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/23.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत सर्वेक्षण में पाये गये बाल श्रमिकों के संबंध में दोषी नियोजकों से क्षतिपूर्ति की राशि रुपये 20,000/- (शब्दों में रु. बीस हजार मात्र) वसूलने के लिए आर. आर. सी. जारी करने के पूर्व नियोजकों की सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत समस्त सहायक श्रमायुक्तों एवं श्रम पदाधिकारियों को सुनवाई उपरान्त पारित करने के लिए अधिकृत किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/24.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में विक्रय संवर्धन कर्मकार सेवा शर्तें अधिनियम, 1976 (क्रमांक 11 सन् 1976) (जो इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्‌द्वारा दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) जो उसमें इसके पश्चात् राज्य अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है, की धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किये गये निरीक्षकों को केन्द्रीय अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है, और राज्य अधिनियम के अधीन अपनी अधिकारिता के भीतर समाविष्ट क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करेंगे.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च, 2002

क्रमांक श्रम/25.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (क्रमांक 25 सन 1976) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्‌द्वारा म. प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किये गये दुकान एवं स्थापना निरीक्षकों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/26.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (क्रमांक 25 सन् 1976) की धारा 12 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्‌द्वारा समस्त श्रम निरीक्षकों को जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन निरीक्षक नियुक्त किया गया है, को अधिनियम की धारा (10) के अंतर्गत अपराधों के संबंध में शिकायत दायर करने के लिए अधिकृत करता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/27.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (क्रमांक 25 सन् 1976) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्‌द्वारा समस्त सहायक श्रमायुक्तों तथा श्रम अधिकारियों को अपनी-अपनी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन शिकायतों तथा दावों की सुनवाई करने तथा विनिश्चित करने के लिए प्राधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/28.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (क्रमांक 25 सन् 1976) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्‌द्वारा श्रम आयुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर को अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत करता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/29.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (क्रमांक 25 सन् 1976) की धारा 7 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्‌द्वारा उप श्रमायुक्त (मुख्यालय) छत्तीसगढ़, रायपुर को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/30.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (क्रमांक 53 सन् 1961) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ शासन, एतद्‌द्वारा म. प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त समस्त निरीक्षकों को प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के प्रयोजन के लिए निरीक्षक के रूप में क्षेत्राधिकारों की उन्हीं स्थानीय सीमाओं के लिए जिनके लिए वे दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अधीन निरीक्षक हैं, नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/31.—प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (क्रमांक 53 सन् 1961) की धारा 28 तथा उसके अधीन बनाये गये म. प्र. प्रसूति प्रसुविधा नियम 1965 जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के नियम 8 में विनिर्दिष्ट अन्य स्थापनाओं के प्रयोजन हेतु समस्त सहायक श्रमायुक्तों तथा श्रम पदाधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/32.—मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (क्रमांक 27 सन् 1961) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, राज्य शासन एतद्द्वारा दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा-40 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किये गये दुकान एवं स्थापना निरीक्षकों को उक्त मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम के प्रयोजन के लिए निरीक्षक (इन्सपेक्टर) नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/33.—मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (क्रमांक 20 सन् 1961) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, राज्य शासन एतद्द्वारा श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को मुख्य कारखाना निरीक्षक नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/34.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन एवं शर्तें) अधिनियम, 1966 (क्रमांक 32 सन् 1966) की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन समस्त निरीक्षकों को बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 के प्रयोजन के लिए निरीक्षक के रूप में क्षेत्राधिकारों की उन्हीं स्थानीय सीमाओं के लिए, जिनके लिए वे दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अधीन निरीक्षक हैं, नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/35.—बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन एवं शर्तें) अधिनियम, 1966 की धारा 31 की उपधारा 2-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा समस्त सहायक श्रमायुक्तों एवं पदाधिकारियों को उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु अपीलीय अधिकारी नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/36.—श्रम जीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (क्रमांक 45 सन् 1955) की धारा 17 बी. की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में राज्य शासन एतद्द्वारा श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर को उक्त उपधारा के अधीन राज्य शासन को प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्रों का विनिश्चियन करने तथा आवेदक को देय रकम की वसूली करने के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट करता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/37.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में कारखाना अधिनियम, 1948 (क्रमांक 63 सन् 1948) की धारा 8 उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की अध्याय तथा छूट देने की शक्ति के अलावा के प्रयोजन के लिए अनुसूची के कॉलम 3 में विनिर्दिष्ट कार्यक्षेत्र के लिए कालम 2 में उल्लेखित पदाधिकारियों को (एडीशनल इन्सपेक्टर) नियुक्त करता है.

अनुसूची

क्रमांक (1)	पदाधिकारी (2)	क्षेत्र (3)
1.	श्रम आयुक्त	संपूर्ण छत्तीसगढ़
2.	उप श्रमायुक्त (मुख्यालय)	--तदैव--
3.	सहायक श्रमायुक्त (मुख्यालय)	--तदैव--
4.	श्रम पदाधिकारी (मुख्यालय)	--तदैव--
5.	श्रम विभाग के समस्त अधिकारी जो सहायक श्रम पदाधिकारी से निम्न पद से नीचे का न हो.	उनके कार्य क्षेत्र के सीमा में.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/38.—श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक सन् 1982) की उपधारा (1) धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, राज्य सरकार एतद्द्वारा म. प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन 1958) की धारा 40 के अधीन नियुक्त किए गये

निरीक्षकों को श्रम कल्याण निधि अधिनियम के लिए उनके समानुदेशित की गई स्थानीय सीमाओं के लिए निरीक्षक नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/39.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में म. प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 36 सन् 1982) की धारा 24 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा समस्त सहायक श्रमायुक्तों तथा श्रम अधिकारियों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता में, उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन देय राशियों की वसूली के लिए भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा (4) के अधीन तहसीलदार की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करती है.

2. यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/40.—श्रम जीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (क्रमांक 45 सन् 1955) की धारा 17 बी. की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, राज्य शासन एतद्द्वारा दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किये गये दुकान स्थापना निरीक्षकों को उक्त श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक नियुक्त करता है और यह निर्देश देता है कि वे अपनी-अपनी अधिकारिताओं के स्थानीय सीमाओं के भीतर अपने कृत्यों का पालन करेंगे.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/41.—वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 (क्रमांक 4 सन 1936) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त रूप में, राज्य सरकार एतद्द्वारा कर्मकार प्रतिकार के समस्त आयुक्तों को जो अधिसूचना क्रमांक 2012/3426/श्रम/2001 दिनांक 17-09-2001 द्वारा सिविल न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये गये थे, मजदूरी में से की गई कटौतियों से या मजदूरी के संदाय में हुए विलंब से उद्भूत दावों की जिनमें उक्त अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन ऐसे दावों के अनुषांगिक समस्त मामले सम्मिलित हैं, की सुनवाई करने और उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है.

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2001

क्रं. 2121/3019/श्रम/2001 म.प्र. राज्य में पुनर्गठन अधिनियम 2000 (क्रमांक 28 सन 2000) की धारा 79 एवं म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 2 (23) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा इस संबंध में पूर्व प्रसारित समस्त सूचनाओं को छत्तीसगढ़ राज्य के प्रयोजन के लिए निष्प्रभावी करते हुए निचे दी गई अनुसूची के कालम (1) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को उक्त अनुसूची के कालम (2) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट उद्योगों के लिए म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) के समस्त प्रयोजनों के लिए स्थानीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करता है :-

अनुसूची

क्र.	क्षेत्र 1	क्र.	उद्योग 2
1	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य	1	विद्युत उत्पादन-पारेषण तथा वितरण
		2.	लोक मोटर परिवहन
2	छत्तीसगढ़ के प्रत्येक राजस्व जिले में समाविष्ट क्षेत्र	1.	वस्त्र उद्योग जिस औद्योगिक विकास क्षेत्र एवं विनिमय अधिनियम 1951की प्रथम अनुसूची की कंडिका 23 में दर्शाया गया है.
		2.	लोहा एवं इस्पात
		3.	विद्युत सामाग्री जिसमें विद्युतउत्पादन, सम्प्रेषण एवं वितरण में लगाने वाले उपकरण सम्मिलित हैं.
		4.	शक्कर एवं उसके उप-उत्पादन जिसमें :- (1) शक्कर उत्पादन के साथ संलग्न कृषि भूमि जिसमें गन्ना पैदा किया जा रहा है.एवं (2) समस्त कृषि एवं औद्योगिक कार्य जो उस उत्पादन के लिए गल्ले की पैदावार से संबंधित हो, सम्मिलित है.
		5.	चांवल मिल .
		6.	तेल मिल .

1	2
	7. सिमेन्ट.
	8. पाटरीज.
	9. चूना उद्योग.
	10. प्रिंटिंग प्रेस.
	11. कागज एवं स्ट्रा-बोर्ड.
	12. एसबेस्टास सिमेंट.
	13. शैलाक (चपड़ा)
	14. राज्य सरकार के किसीविभाग द्वारा चलाए जा रहे इंजीनियरिंग उद्योग को अपवर्जित करते हुए इंजीनियरिंग जिसमें मोटर यान सम्मिलित हैं.
	15. फ्लोअर मिल.
	16. बिस्किट एवं कन्फैक्सनरी
	17. ग्लास (कांच).
	18. स्टार्च.
	19. वनस्पति घी (हाईड्रोनेटेड ऑईल)
	20. रबर.
	21. सेरेमिक्स जिसमें उच्च तापसः वस्तुएं फायर ब्रिकस, सेनेटरी वेयर्स, इन्सलेटर्स, टाईल्स, स्टोन, वेयर्स, पाईप्स, फारनेस लाईनिंग ब्रिक्स, सम्मिलित है.
	22. केमिकल एवं केमिकल उत्पादन.
	23. नॉनमेटलिक मिनरल उत्पादन .
	24. अल्युमिनियम उद्योग.
	25. जिलेटिन उद्योग.
	26. लेदर टेनरीज.
	27. फर्टिलाइजर्स जिन्हें उद्योग विकास एवं विनिमय अधिनियम 1951 की प्रथम अनुसूची की कंडिका 18 में दर्शाया गया है.
	28. ड्रग्स एवं फार्मास्युटिकल्स जिन्हें उद्योग विकास एवं विनिमय अधिनियम 1951 की प्रथम अनुसूची की कंडिका 22 में दर्शाया गया है.
	29. फर्मनटेशन जिसे उद्योग विकास एवं विनिमयन अधिनियम 1951 की प्रथम अनुसूची की कंडिका 26 में दर्शाया गया है.
	30. डेयरी प्रोडक्टस का उत्पादन एवं वितरण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.एन.राव, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/42.—न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, की धारा 27 बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा धारा 5 की उपधारा 2 के अधीन शक्तियों के प्रयोग करने संबंधी निर्देश देता है कि, उनका प्रयोग श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा भी की जा सकेगी.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/43.— मैं एम. एस. मूर्ति, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभागीय आदेश क्रमांक 473-7258 सोलह, दिनांक 24 जनवरी 1961 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा दुकान स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्न अनुसूची के स्तंभ क्रमांक (2) में दर्शाये गए पदाधिकारी व्यक्तियों का नाम या पद जैसी भी स्थिति हो, से उसी सारणी के स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शाये गए स्थानीय क्षेत्रों के लिए निरीक्षक नियुक्त करता हूँ.

अनुसूची

अनुक्रमांक	नियुक्त व्यक्तियों के नाम अथवा पदनाम	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
एक.	समस्त उप श्रम निरीक्षक	संपूर्ण राज्य में सभी स्थानीय क्षेत्रों एवं सभी प्रकार के संस्थानों के लिए जिन पर कि यह अधिनियम लागू होती है. अपने-अपने कार्य क्षेत्र की सीमाओं में.
दो.	समस्त श्रम निरीक्षक	-----तदैव-----
तीन.	श्रम विभाग के समस्त	-----तदैव-----
		अधिकारीगण जो कि सहायक श्रम पदाधिकारी की श्रेणी के नीचे का न हो.

स्पष्टीकरण :-

समस्त पदाधिकारी जो सहायक श्रम पदाधिकारी की श्रेणी से कम नहीं है, का तात्पर्य उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त, मुख्य निरीक्षक, मोटर यातायात श्रमिक एवं मुख्य निरीक्षक, न्यूनतम वेतन अधिनियम श्रम पदाधिकारी तथा सहायक श्रम पदाधिकारी से है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक श्रम/44.— म. प्र. दुकान अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 53 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसा कि यह प्रदेश में प्रयुक्त है, मैं एम. एस. मूर्ति, श्रम आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर एतद्द्वारा समस्त सहायक श्रम आयुक्तों एवं श्रम पदाधिकारियों के उनसे संबंधित श्रम कार्यालयों में उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित प्रकरणों में समझौता करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. मूर्ति, सचिव.